UPGK010019392026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,गोरखपुर।
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–860/2026
सुभावती देवी पत्नी मुन्ना चौरसिया,
निवासिनी–रामपुर बुजुर्ग, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,
मु0 अपराध संख्या–40/2026
धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–एम्स, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदिका/अभियुक्ता सुभावती देवी, जो मु0 अपराध संख्या–40/2026 धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–एम्स, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा उर्मिला देवी की पुत्री अनिता चौरसिया का विवाह दिनांक 07.12.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज से विजय चौरसिया पुत्र मुन्ना चौरसिया के साथ हुआ था। वादिनी ने पुत्री के ससुराल वालों की मॉग पर काफी दान–दहेज अपने सार्मथ्य के अनुसार दिया था। वादिनी की पुत्री अनिता के पति विजय चौरसिया, ससुर मुन्ना चौरसिया, सास सुभावती देवी और ननद प्रियंका चौरसिया कम दहेज को लेकर हमेशा ताना देते हुए शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा वादिनी की पुत्री से अपाची गाड़ी अतिरिक्त दहेज में मॉग कर लाने के लिये दबाव बनाते थे। वादिनी की पुत्री अनिता के मना करने पर मारते–पीटते थे। पता चलने पर वादिनी व उसके घर वाले दामाद व ससुराल वालों को समझाने–बुझाने का प्रयास करते थे परन्तु वे लोग सुनवा नहीं होते थे। दिनांक 14.02.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे वादिनी की पुत्री अनिता की विजय चौरसिया, ससुर मुन्ना चौरसिया, सास सुभावती देवी व ननद प्रियंका चौरसिया ने दहेज के लिये गला दबा कर हत्या कर दिया।

3– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। वादिनी मुकदमा की पुत्री के द्वारा आवेदिका या उसके परिवार के द्वारा कभी भी किसी प्रकार की प्रताड़ना या दहेज की मॉग को लेकर कोई शिकायती प्रार्थना–पत्र किसी भी

थाने में नहीं दिया गया है। आवेदिका तथाकथित घटना दिनांक व समय पर घर पर नहीं थी, बल्कि खेत की तरफ गई थी। आवेदिका की बहू मानसिक बीमारी से ग्रसित थी। आवेदिका की बहू घर पर अकेली थी और अकेले रहने के दौरान स्वयं के द्वारा इस तरह की घटना कारित की है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतएव उपरोक्त समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रा0पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है। आवेदिका/अभियुक्ता व उसके परिवारजन के द्वारा अपनी बहू अनिता चौरसिया से दहेज में अपाची मोटरसाईकिल की मॉग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था एवं मारा–पीटा जाता था तथा मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गई है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। तद्नुसार उनके द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– मैंने आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका अनिता चौरसिया की सास है। आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर अपनी बहू अनिता चौरसिया से दहेज में अपाची मोटरसाईकिल की मॉग को लेकर प्रताड़ित करने तथा उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का गम्भीर अभिकथन है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में होना वर्णित है। विवेचक द्वारा धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत वादिनी मुकदमा श्रीमती उर्मिला देवी व मृतका के भाई अर्जुन चौरसिया का बयान अंकित किया गया है जिसमें उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता की घटना में सहभागिता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है। मृतका की शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु पूर्व चोट 1–Ligature mark is dry brownish in color, skin over ligature mark is parchmentized. Oblique incomplete ligature mark present over anterior aspect of neck of length 15cm, running obliquely upwards towards crossing left angle of mandible. It is situated 4cm below the chin and 8cm above the suprasternal notch, it is

6cm below the right angle of mandible and 8cm below the right mastoid. maximum width of ligature mark is 4cm. Total neck circumference is 32 cm. On dissection: There is no evidence of any hemorrhage, contusion underlying the ligature mark, no evidence of injury to strap muscle, no injury to deep muscle, hyoid bone and thyroid cartilage are intact. 2 - Abrasion Present over bilateral maxillary region of size 2x1cm reddish. आना उल्लिखित है तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण दम घुटने से होना बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदिका/अभियुक्ता को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। विवेचना अभी प्रचलित है।

7– अतएव मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदिका/अभियुक्ता की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदिका/अभियुक्ता सुभावती देवी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–11.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:48:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court